प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख		Date of Application for the copy	No. of requisite stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
		14/9/15	14/9/15	14/9/15	15/9/15	15/9/15

FOLIO NOT AVAILABLE

स्थायी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 369 से

खाता नं० 484 वार्ड सं० 9 जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

गाँव / थाना — परगना — तौजी सं० — थाना सं०

खतियान की क्रम सं०	अधिकारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत: खेसरा संख्या	खेत: चौहद्दी	भूमी का स्वरूप	रकबा ₹० आर० सं०
1	2	3	4	5	6
484	लखी नारायण सिंह तो पूर्ण चन्द्र सिंह पिता मालकर सिंह अंश समांश	349	उ० भमरसिंह द० जिलमोहन	दोन दो / 3	0.07.30
		369	उ० हरेन द० गुरुचरण	दोन तीन / 4	0.50.50
		2			0.57.80

प्रतिलिपिक
15/9/15

तुलना किया

स्वत्वधारी का नाम और उसकी [illegible] संख्या
मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खतियान संख्या यदि हो

गैर मजरुवा लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है		(1) [illegible] का तारीख और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आवाही (जमाबंदी या अन्य विवरणों) (3) कोई [illegible] और अनुपगत बात यदि हो।
राजस्व पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
8	9	10
i) कायिल लगान		सी० एन० टी० एक्ट [illegible] के मुकदमा नं० 54 सन् 2004 के आदेशानुसार 194 : 00 रु० (एक सौ चौरानवे रूपे अतिरिक्त सेस लगान : धार्य हुआ। निर्धारित लगान सन 1998-99 से प्रभावी किया। ह० अस्पष्ट राजस्व पदाधिकारी

[illegible] 15/9/15
ह० अस्पष्ट
[illegible]